न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 52 /2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लखन्या पुत्र कमल जाति गुर्जर निवासी सुमेल तहसील बरनाला --प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला –अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री बनवारी लाल बंजारा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 24-6-25

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला में है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के अलग से खातेदार है। तथा अलग से आराजी की डौल मेड़ बनी हुई है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर काबिज रहकर फसल काश्त कर लाभांवित होता चला रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला के आस पास के खातेदारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते है। एवं प्रार्थी के उक्त खेतों की बनी हुई डौल मेड़ को आये दिन तोड़ते रहते है। इस वजह से प्रार्थी को पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अकेले व्यक्ति है। तथा प्रार्थी के उक्त खेतों के आस पास के खातेदारान डौल मेड़ को तोड़कर परेशान करते रहते है। इस वजह से प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी श्रीमान तहसीलदार बरनाला द्वारा करवाया जाना न्यायहित में है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी को समय–समय पर संभालता है। इसी का आस–पास के खातेदारान नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की कृषि भूमि में आये दिन काश्त करने में व्यवधान पैदा करते रहते है। इस वजह से प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस वजह से प्रार्थी की उक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि की मौके पर स्थिति स्पष्ट हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिए श्रीमान तहसीलदार बरनाला को आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम सुमेल पटवार मण्डल सुमेल भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थी के नाम

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सुमेल पटवार मण्डल सुमेल भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1721/1539 रकबा 1.20 है0 स्थित ग्राम सुमेल तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक बैराड़ा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बैराड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

उपजिला कलक्टर बामनवास (स0मा0)

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner